

**न्यायालय:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज.)**


क्रमांक :- स्था./2021/..SS

दिनांक :- 20.04.2021

**-: आ दे श :-**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 05/पीआई/2021 दिनांक 19.04.2021 के अनुसरण में इस न्यायालय में निम्न दिनांक को नियत फौजदारी/दीवानी प्रकृति के प्रकरणों में उनके सम्मुख अंकित आगामी तारीख पेशी नियत की जाती है :-

क्र.सं.	वर्तमान नियत तारीख पेश	आगामी नियत तारीख पेशी	
		फौजदारी	दीवानी
1.	20.04.2021	01.06.2021	01.07.2021
2.	22.04.2021	02.06.2021	02.07.2021
3.	23.04.2021	03.06.2021	03.07.2021
4.	24.04.2021	04.06.2021	05.07.2021
5.	26.04.2021	05.06.2021	06.07.2021
6.	28.04.2021	07.06.2021	07.07.2021
7.	29.04.2021	08.06.2021	08.07.2021
8.	30.04.2021	09.06.2021	09.07.2021
9.	01.05.2021	10.06.2021	12.07.2021
10.	03.05.2021	11.06.2021	13.07.2021


  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
धौलपुर (राज.)

क्रमांक :- स्था./2021/..1156

दिनांक :- 20.04.2021

**प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-**

1. श्रीमान् अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, धौलपुर
2. रीडर, जिला न्यायालय, धौलपुर
3. सी.आई.एस. लिपिक को प्रेषित कर लेख है कि सीआईएस में कोविड-19 मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से तारीख पेशी अपडेट करें।
4. नोटिस बोर्ड/जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट
5. आदेश/संबंधित पत्रावली

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
धौलपुर (राज.)

**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज.)**

क्रमांक : रीडर/2020/123-127

दिनांक 20.04.2021

**आम सूचना**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र सं. 5/पी.आई./2021 दिनांक 19.04.2021 द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी दिशा निर्देशों के लिये श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय धौलपुर के आदेश 54 दिनांक 20.04.2021 अनुपालना में दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी-


1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरण
3. ब्यादेश/स्थगन सम्बन्धी प्रकरण
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. अपील की दशा में सजा स्थगन प्रार्थना पत्र
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त जिन प्रकरणों में मुल्जिम न्यायिक अभिरक्षा में हैं, उनमें आगामी पेशी 19.05.2021 नियत की जाती है तथा शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

वर्तमान नियत तिथि	आगामी नियत तिथि	
	सेशन प्रकरण	दीवानी प्रकरण
20.04.2021	01.06.2021	29.06.2021
22.04.2021	02.06.2021	30.06.2021
23.04.2021	03.06.2021	01.07.2021
24.04.2021	04.06.2021	02.07.2021
26.04.2021	05.06.2021	03.07.2021
28.04.2021	07.06.2021	05.07.2021
29.04.2021	08.06.2021	06.07.2021
30.04.2021	09.06.2021	07.07.2021
01.05.2021	10.06.2021	08.07.2021
03.05.2021	11.06.2021	09.07.2021

परिवर्तित तिथियाँ शीघ्र ही CIS 3.0 पर अपडेट कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुये न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात् यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी परन्तु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

  
 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
 धौलपुर

**प्रतिलिपि :-**

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय धौलपुर को सूचनाार्थ।
2. अध्याक्ष अभिलेखना संघ धौलपुर को सूचनाार्थ।

## कार्यालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धौलपुर (राज.)

क्रमांक :-स्था./2021/

दिनांक:-20.04.2021

### :: सूचना ::

समस्त विद्वान अधिवक्तागण एवं पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि भाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र संख्या 05/पी.आई./2021 दिनांक 19.04.2021 की पालना में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी किये गये निर्देशों व सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश की पालना में इस न्यायालय/अधिकरण में दिनांक 20.04.2021 से 03.05.2021 तक पूर्व से नियत पेशी समस्त प्रकार के प्रकरणों में आगामी पेशी निम्नानुसार नियत की जाती है -

क्रमांक	वर्तमान तारीख पेशी	आगामी तारीख पेशी
1.	20.04.2021	01.06.2021
2.	22.04.2021	02.06.2021
3.	23.04.2021	03.06.2021
4.	24.04.2021	04.06.2021
5.	26.04.2021	05.06.2021
6.	28.04.2021	07.06.2021
7.	29.04.2021	08.06.2021
8.	30.04.2021	09.06.2021
9.	01.05.2021	10.06.2021
10.	03.05.2021	11.06.2021

इस न्यायालय/अधिकरण की अधिकृत ई-मेल आईडी mact-dho-rj@hcraj.nic.in है।

  
20.4.21

न्यायाधीश/लिंग अधिकारी  
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,  
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण  
धौलपुर (राज.)

क्रमांक :- स्था./2021/117 to 123

दिनांक:- 20.04.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु निम्नांकित को प्रेषित है -

1. धौलपुर अभिभाषक संघ, धौलपुर (जरिए वाटसअप)

## न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, धौलपुर

क्रमांक : 57

दिनांक: 20.04.2020

### :- आम सूचना :-

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (Novel Corona Virus) (COVID-19) को महामारी घोषित करने के पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 05/ पी.आई./2021 दिनांकित 19.04.2021 एव श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर उक्त महामारी के संदर्भ में जारी निर्देशानुसार इस न्यायालय में लंबित सभी प्रकरणों में नियत तिथि के स्थान पर आगामी तिथि निम्न प्रकार नियत की जाती है।


नियत तिथि	आगामी तिथि
20.4.2021	01.06.2021
22.4.2021	02.06.2021
23.4.2021	03.06.2021
24.4.2021	04.06.2021
26.4.2021	05.06.2021
28.4.2021	07.06.2021
29.4.2021	08.06.2021
30.4.2021	09.06.2021
01.5.2021	10.06.2021
03.5.2021	11.06.2021

परिवर्तित तिथियां शीघ्र ही CIS पर अपडेट कर दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुये नवीन प्रार्थना पत्र/ आवश्यक प्रकृति के प्रकरण उक्त अवधि में आवश्यक कार्य सम्पादन हेतु नियुक्त किये गये जिला न्यायाधीश स्तर के पीठासीन अधिकारी महोदय के न्यायालय की ई-मेल आई डी पर इस शर्त के साथ पेश कर सकता है कि न्यायालय का नियमित कार्य सुचारु होने के पश्चात ई-मेल पर पेश किये गये प्रकरणों/प्रार्थना पत्रों की हार्ड कॉपी पेश कर दी जावेगी।

स्वस्थ रहें और देश की प्रगति में बाधा बन रहे कोरोना वायरस को दूर कर जड़ से उन्मूलित करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें

E-mail ID - fc-dho-rj@hcraj.nic.in

mobile no. 8279081377

  
न्यायाधीश  
पारिवारिक न्यायालय,  
धौलपुर

प्रतिलिपि :

**न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर**

क्रमांक : आम सूचना / २२

दिनांक : 20.04.2021

**आम सूचना**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 05/पीआई/2021 दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी :-

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरणों
3. व्यादेश/स्थगन संबंधी प्रकरणों
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी/मृत्युकालिक कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियां सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा :-

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में आगामी नियत तिथि
20.04.2021	03.05.2021	19.05.2021
22.04.2021	04.05.2021	20.05.2021
23.04.2021	05.05.2021	21.05.2021
24.04.2021	06.05.2021	22.05.2021
26.04.2021	07.05.2021	24.05.2021
28.04.2021	10.05.2021	25.05.2021
29.04.2021	11.05.2021	26.05.2021
30.04.2021	12.05.2021	27.05.2021
01.05.2021	13.05.2021	28.05.2021
03.05.2021	15.05.2021	29.05.2021

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियां सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा। परिवर्तित तिथियां शीघ्र ही सी.आई.एस. 3.0 पर अपडेट कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण की अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई कराना चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी, परंतु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवें।

—sd—  
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
धौलपुर

क्रमांक सी.आई.एस. 3.0/2021

दिनांक 20.04.2021

न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर

क्रमांक : आम सूचना / 2 /

दिनांक : 20.04.2021

आम सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 05/पीआई/2021 दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी :-

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरणों
3. व्यादेश/स्थगन संबन्धी प्रकरणों
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी/मृत्युकालिक कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा :-

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में आगामी नियत तिथि
20.04.2021	03.05.2021	19.05.2021
22.04.2021	04.05.2021	20.05.2021
23.04.2021	05.05.2021	21.05.2021
24.04.2021	06.05.2021	22.05.2021
26.04.2021	07.05.2021	24.05.2021
28.04.2021	10.05.2021	25.05.2021
29.04.2021	11.05.2021	26.05.2021
30.04.2021	12.05.2021	27.05.2021
01.05.2021	13.05.2021	28.05.2021
03.05.2021	15.05.2021	29.05.2021

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा। परिवर्तित तिथियाँ शीघ्र ही सी.आई.एस. 3.0 पर अपडेट कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण की अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई कराना चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी, परंतु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं  
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
धौलपुर

क्रमांक

819

दिनांक

20/4/21

**न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर**

क्रमांक : आम सूचना / 09

दिनांक : 20.04.2021

**आम सूचना**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 05/पीआई/2021 दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी :-

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरणों
3. व्यादेश/स्थगन संबन्धी प्रकरणों
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी/मृत्युकालिक कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा :-

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में आगामी नियत तिथि
20.04.2021	03.05.2021	19.05.2021
22.04.2021	04.05.2021	20.05.2021
23.04.2021	05.05.2021	21.05.2021
24.04.2021	06.05.2021	22.05.2021
26.04.2021	07.05.2021	24.05.2021
28.04.2021	10.05.2021	25.05.2021
29.04.2021	11.05.2021	26.05.2021
30.04.2021	12.05.2021	27.05.2021
01.05.2021	13.05.2021	28.05.2021
03.05.2021	15.05.2021	29.05.2021

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा। परिवर्तित तिथियाँ शीघ्र ही सी.आई.एस. 3.0 पर अपडेट कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण की अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई कराना चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी, परंतु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

—SD—  
सिविल न्यायाधीश एवं  
न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
धौलपुर  
दिनांक 20/4/21

क्रमांक 76

न्यायालय : अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं०-१, धौलपुर

क्रमांक : आम सूचना/१०

दिनांक : 20.04.2021

आम सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 05/पीआई/2021 दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी :-

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरणों
3. व्यादेश/स्थगन संबन्धी प्रकरणों
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी/मृत्युकालिक कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा :-

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में आगामी नियत तिथि
20.04.2021	03.05.2021	19.05.2021
22.04.2021	04.05.2021	20.05.2021
23.04.2021	05.05.2021	21.05.2021
24.04.2021	06.05.2021	22.05.2021
26.04.2021	07.05.2021	24.05.2021
28.04.2021	10.05.2021	25.05.2021
29.04.2021	11.05.2021	26.05.2021
30.04.2021	12.05.2021	27.05.2021
01.05.2021	13.05.2021	28.05.2021
03.05.2021	15.05.2021	29.05.2021

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा। परिवर्तित तिथियाँ शीघ्र ही सी.आई.एस. 3.0 पर अपडेट कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण की अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई कराना चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी, परंतु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

— 5d —  
अति. सिविल न्यायाधीश एवं  
न्यायिक मजिस्ट्रेट सं०-१,  
धौलपुर  
दिनांक

क्रमांक १०१५



**न्यायालय : अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं०-२, धौलपुर**

क्रमांक : आम सूचना/०५

दिनांक : 20.04.2021

**आम सूचना**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 05/पीआई/2021 दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी :-


1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरणों
3. व्यादेश/स्थगन संबन्धी प्रकरणों
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी/मृत्युकालिक कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा :-

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में आगामी नियत तिथि
20.04.2021	03.05.2021	19.05.2021
22.04.2021	04.05.2021	20.05.2021
23.04.2021	05.05.2021	21.05.2021
24.04.2021	06.05.2021	22.05.2021
26.04.2021	07.05.2021	24.05.2021
28.04.2021	10.05.2021	25.05.2021
29.04.2021	11.05.2021	26.05.2021
30.04.2021	12.05.2021	27.05.2021
01.05.2021	13.05.2021	28.05.2021
03.05.2021	15.05.2021	29.05.2021

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा। परिवर्तित तिथियाँ शीघ्र ही सी.आई.एस. 3.0 पर अपडेट कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण की अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई कराना चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी, परंतु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

  
अति. सिविल न्यायाधीश एवं  
न्यायिक मजिस्ट्रेट सं०-२,  
धौलपुर  
दिनांक २०-०५-२०२१

क्रमांक 66

**न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, धौलपुर**

क्रमांक : आम सूचना / 07

दिनांक : 20.04.2021

**आम सूचना**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 05/पीआई/2021 दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी :-


1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरणों
3. व्यादेश/स्थगन संबन्धी प्रकरणों
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी/मृत्युकालिक कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा :-

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में आगामी नियत तिथि
20.04.2021	03.05.2021	19.05.2021
22.04.2021	04.05.2021	20.05.2021
23.04.2021	05.05.2021	21.05.2021
24.04.2021	06.05.2021	22.05.2021
26.04.2021	07.05.2021	24.05.2021
28.04.2021	10.05.2021	25.05.2021
29.04.2021	11.05.2021	26.05.2021
30.04.2021	12.05.2021	27.05.2021
01.05.2021	13.05.2021	28.05.2021
03.05.2021	15.05.2021	29.05.2021

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा। परिवर्तित तिथियाँ शीघ्र ही सी.आई.एस. 3.0 पर अपडेट कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण की अत्यावश्यक प्रकृति को मानकर सुनवाई कराना चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी, परंतु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

  
सिविल न्यायाधीश एवं  
न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3,  
धौलपुर  
दिनांक 20/4/21

क्रमांक 67

# कार्यालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बाडी, धौलपुर

क्रमांक: 2

दिनांक :- 20.6.11

## आम सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 05/पीआई./2021 दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक के कार्यदिवसों के केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई वी.सी. के माध्यम से की जावेगी,

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरण
3. व्यादेश/ स्थगन सम्बन्धी प्रकरण
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी/मृत्युकालिक कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हो।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

क.	वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामले में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	दीवानी/फौजदारी प्रकरण में नियत तिथि
1	20.04.2021	03.05.2021	05.07.2021
2	22.04.2021	04.05.2021	06.07.2021
3	23.04.2021	05.05.2021	07.07.2021
4	24.04.2021	06.05.2021	08.07.2021
5	26.04.2021	07.05.2021	09.07.2021
6	28.04.2021	10.05.2021	12.07.2021
7	29.04.2021	11.05.2021	13.07.2021
8	30.04.2021	12.05.2021	14.07.2021
9	01.05.2021	13.05.2021	15.07.2021
10	03.05.2021	15.05.2021	16.07.2021

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त फौजदारी प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई तक प्रभावी रहेगा। परिवर्तित तिथियाँ शीघ्र ही सीआईएस 3.0 पर अपडेट कर दी जावेगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि कोई पक्षकार अपने प्रकरणों को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस संबंध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थनापत्र न्यायालय की ई-मेल आई.डी. पर प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है, तो वह ऐसे प्रकरणों की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी परन्तु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
संख्या-01, बाडी

दिनांक 20.6.11

क्रमांक 91, 98  
प्रतिलिपि

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय, धौलपुर
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बाडी
3. आदेश की प्रति सिस्टम असिसटेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. नोटिस बोर्ड
5. कार्यालय प्रति

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
संख्या-01, बाडी